FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0036 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/02/2026 12:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/02/2026 12:03:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 350 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT SHINPUR, PANCHAYAT SAMATI KAPASAN, JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA KUMAR DADHICH URF KALU

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KAILASH CHAND JI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHINPUR, KAPASAN, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHINPUR, KAPASAN, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARASRAM		पिता:RAMCHANDRA	1. UPARLAWAS RAMRAWAS KLAN,KHERAPA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	BABU LAL SHARMA		पिता:MITHU LAL SHARMA	1. HINGORIYA,KAPASAN,KAPASAN,CHITTORGARH,RAJASTHAN,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	70000 रूपये भारतीय	2,10,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	चलन मुद्रा के नोट व 140000 रूपये का चैक संख्या 200060	2,10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, अतिरिक्त पुलिस अधिकक्षक महोदय ACB चित्तौडगढ़ विषय - कानूनी कारवाई करने बाबत महोदयजी, निवेदन है कि मै नरेन्द्र कुमार दाधीच s/o कैलाश चन्द्रजी निवासी सिंहपुर त-कपासन जिला चित्तौडगढ़ मेरी एक फर्म K.K. CONSTRUCTION नाम से है जो कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यो में मटेरियल सप्लाई का कार्य करते है। मेरा ग्राम पंचायत सिंहपुर में मटेरियल सप्लाई का कार्य है मैने मेरी फर्म के 7 बील माह मई व जुन 2025 के लगभग 1280000 रूपय के भुगतान हेतु ग्राम पंचायत सिंहपुर में प्रस्तुत किए जिन बिलो का भुगतान करने हेतु ऑनलाई फिड नही किया गया है। यह कार्य नरेगा के अनतगर्त आदर्श श्मशान घाट खारोलो की झुपडीया के है जो कि ग्राम पंचायत सिंहपुर के अधिन आते है। इन बिलो की फिडीग के लिए मै कई बार ग्राम पंचायत के सचिव श्री पारस राम विश्नोई व L.D.C बाबुलाल से सम्पर्क किया किन्तु वह दोनो मेरे से रिश्वत कि मांग कर रहे है सचिव साहब मुझे कहते है कि नरेगा के तहत बिल पंचायत समिती में फिड करवाने पडेगे इस लिए खर्चा लगेगा। मै मेरे जायज काम के भुगतान के सम्बन्ध में रिश्वत नही देना चाहता हू। सचिव साहब व L.D.C मुझ से मेरे 1280000 के बीलो के भुगतान के लिए ऑनलाईन फिडिग करने के एवज में 250000 रूपय माग रहे है मै इतनी बडी राशी रिश्वत के रूप मे देने में असमर्थ हु मै इन सरकारी कर्मचारियो को रिश्वत नही देना चाहता हू इसलिए कानूनी कारवाई करवाना चाहता हू। मेरा इनसे कोई व्यक्गित लेन देन नही है। ना ही इनसे कोई झगडा है। कृपया मेरी सुनवाई कर कारवाई करे मेने कारवाई करवाने हेतु ही जयपुर टोल फ्रि नम्बर पर कॉल कर शिकायत की थी। हस्ताक्षर नरेन्द्र दिनांकनरेन्द्र कुमार दाधीच 26/12/25 (कालु) s/o कैलाश चन्द्र कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तोड़गढ़ दिनांक 26.12.2025 को समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के बाहर पास ही एकान्त स्थान पर बुलाया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी के पास पहुंचा । परिवादी ने बताया कि मेरी के.के. कन्सट्रक्शन नाम की फर्म है। मैं ग्राम पंचायत सिंहपुर में विकास कार्यो के लिए मेटेरियल सप्लाई का कार्य करता हुं। मेरी फर्म के 07 बिल माह मई व जुन 2025 के लगभग 12,80,000 रूपये के भुगतान के बकाया चल रहे है। उक्त बिलो को ऑनलाईन फिडिंग करके भुगतान करने की एवज में ग्राम पंचायत के सचिव श्री पारस राम विश्नोई व कनिष्ठ सहायक श्री बाबु लाल मेरे से 2,50,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे है। मै इन दोनो कर्मचारियो को रिश्वत नही देना चाहता हुं । आप कानुनी कार्यवाही करावें। मैंने उक्त शिकायत आपके विभाग के टोल फ्रि नम्बर 1064 पर दिनांक 25.12.2025 को दी थी जहां से आपके मोबाईल नम्बर मुझे दिये थे। परिवादी से मजिद दरियाप्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वलिखित होकर उसने अंकित तथ्य सही है तथा यह भी बताया कि मेरा दोनो कर्मचारियो से कोई उधार का लेन-देन बकाया नही है। ना ही इनसे मेरी कोई आपसी रंजिश है तथा ना ही मुझे ग्राम पंचायत में कोई राजकीय राशि जमा कराना है। मैं दोनो कर्मचारियो को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं । आप कानुनी कार्यवाही करावे। मैं आपके कार्यालय के अन्दर नही आना चाहता हुं क्योकि आस-पास के लोग मुझे जानते है तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मुझे मेरे परिचित व्यक्ति कालु नाम से भी बुलाते है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ उसकी फर्म के बिल नम्बर 07 दिनांक 30.05.2025 राशि 2,49,840 रूपये, बिल नम्बर 08 दिनांक 31.05.2025 राशि 2,45,531 रूपये, बिल नम्बर 10 दिनांक 02.06.2025 राशि 1,79,589 रूपये, बिल नम्बर 11 दिनांक 05.06.2025 राशि 2,49,965 रूपये, बिल नम्बर 14 दिनांक 08.06.2025 राशि 2,46,011 रूपये, बिल नम्बर 15 दिनांक 09.06.2025 राशि 65,191 रूपये, बिल नम्बर 17 दिनांक 11.06.2025 राशि 45,627 रूपये के स्वयं हस्ताक्षरित बिलो की फोटोप्रतिया भी प्रस्तुत की। परिवादी के प्रार्थना पत्र और बिलो का अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाना आवश्यक है। अतः परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि संदिग्ध कर्मचारी अभी अवकाश पर है, उनके आने पर मैं आपको कॉल कर सूचित कर दुगा तब आप आपके कार्यालय के किसी कर्मचारी को मेरे पास भेज देना, मैं रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवा दुगा। परिवादी को

श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. 296 के मोबाईल नम्बर देकर हिदायत की गई कि मेरा नम्बर नही लगे तो आप श्री शेर सिंह कानि0 को कॉल कर सुचना दे देवे। श्री शेर सिंह ही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु आपके साथ जायेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 03.00 पीएम पर श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. 296 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा दी गई शिकायत के बारे में अवगत करवा कर परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर हिदायत दी गई कि जब भी परिवादी का कॉल आवे तो मुझे अवगत करा कर परिवादी के पास जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 07.01.2026 को समय करीब 10.40 पीएम पर परिवादी द्वारा अब तक कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित नही होने के कारण जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पैर में चोट लग गई है तथा डॉक्टर ने 15-20 दिन रेस्ट करने की बोला है। मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, मै ठीक होते ही आप से स्वयं सम्पर्क कर दुंगा। परिवादी को ठीक होने पर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय पर सम्पर्क करने की हिदायत दी गई। आईन्दा परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 29.01.2026 को समय करीब 09.30 एएम पर दर्ज रहे कि कल दिनांक 28.01.2026 को जरिये दूरभाष श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. ने मुझे अवगत कराया कि परिवादी ने मुझे रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कपासन बुलाया है जिस पर श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने के निर्देश देते हुए हिदायत दी कि कार्यालय का सरकारी डीवीआर मय् एक खाली मैमोरी कार्ड लेकर कार्यालय से जावे तथा कपासन में परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से सम्पर्क कर उसे डीवीआर को चालु व बन्द करने की विधि की समझाईश कर उसके हमरा जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। जिस पर निर्देशानुसार श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 ने नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया तथा इस समय रिकार्डिगशुदा सरकारी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत करते हुए बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय का सरकारी डीवीआर मय् एक खाली मैमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला साथ लेकर समय करीब 04.30 पीएम पर कार्यालय से रवाना हो कपासन पहुंचा । जहॉ पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उपस्थित मिला। परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। परिवादी को डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु पंचायत समिति कपासन में बने निवास पर सचिव श्री पारस राम विश्नोई से मिलने हेतु रवाना कर मैं भी आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास वापस आया तथा डीवीआर बन्द हालत मे मुझे सुपुर्द करते हुए बताया कि मेरी सचिव श्री पारस राम विश्नोई से रिश्वत राशि के लेन-देन बाबत् बात हो गई है। सचिव ने नगद रिश्वत राशि 2,21,000 रूपये श्री बाबुलाल जी को देने हेतु कहा है। उक्त हालात मैंने जरिये दूरभाष आपको अवगत कराये थे तथा परिवादी से भी आपकी वार्ता करायी थी। तत्पश्चात् निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कपासन में ही छोडकर मैं समय करीब 08.30 पीएम पर कार्यालय पहुंचा । परिवादी से हुई वार्ता अनुसार उसने भी श्री शेर सिंह द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो की ताईद की तथा यह भी बताया कि मेरे पैर में लगी चोट ठीक नही होने से इतने दिनों तक मैंने रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कॉल नही किया था। श्री शेर सिंह कानि. ड्रा. द्वारा प्रस्तुत डीवीआर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। संदिग्ध सचिव श्री पारस राम विश्नोई ने रिश्वत राशि श्री बाबुलाल एलडीसी को देने के लिए परिवादी को कहा है इसलिए श्री बाबुलाल एलडीसी से भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाना आवश्यक है। अतः परिवादी से सम्पर्क कर आईन्दा श्री बाबुलाल एलडीसी से भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जायेगा। सरकारी डीवीआर मय रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 01.00 पीएम पर श्री शेर सिंह कानि.ड्रा. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने श्री बाबुलाल एलडीसी से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु मुझे सिंहपुर बुलाया है। अतः श्री शेर सिंह कानि. को श्री बाबुलाल एलडीसी से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु सिंहपुर रवाना किया जायेगा। इसके बाद समय करीब 01.15 पीएम पर श्री शेर सिंह कानि.ड्रा सरकारी डीवीआर मय रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड सुपुर्द करते हुए सिंहपुर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु सिंहपुर के लिए रवाना किया। इसके समय करीब 04.00 पीएम पर श्री शेर सिंह ड्रा.कानि. व परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच कार्यालय हाजा उपस्थित आये है। मन् उप अधीक्षक पुलिस को सरकारी डीवीआर मय रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड पेश किया तथा श्री शेर सिंह ड्रा.कानि. ने बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर सिंहपुर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उपस्थित मिला। परिवादी को सरकारी डीवीआर मय रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु ग्राम पंचायत सिंहपुर के लिए रवाना किया तथा मैं भी आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा डीवीआर को बन्द कर मुझे देते हुए बताया कि मैंने ग्राम पंचायत सिंहपुर जाकर श्री बाबुलाल जी से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध में बातचित कर आपके विभाग के डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है तथा श्री शेर सिंह ड्रा.कानि. ने बताया कि आपको हालात निवेदन कर परिवादी को हमरा लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने श्री शेर सिंह ड्रा.कानि. द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो की ताईन्द करते हुए

बताया कि मेरी ग्राम पंचायत सिंहपुर जाकर श्री बाबुलाल जी से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध में बातचित हो गई है। मैंने उनको सचिव श्री पारस राम विश्नोई के बताये अनुसार रिश्वत राशि 2 लाख 21 हजार रूपये बाबत् बातचित की तो श्री बाबुलाल जी ने मुझे कहां कि 2 लाख 11 हजार रूपये कर देना। डीवीआर को चालू कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईन्द हुई तथा वार्तानुसार आरोपी श्री बाबु लाल ने परिवादी से 2,11,000 रूपये की स्पष्ट मांग की है। डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 रूपये लेकर कल दिनांक 04.02.2026 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की कहकर रूखसत दी गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से गवाहानों की तलबी की जावेगी। इसके बाद समय करीब 05.30 पीएम पर दो स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 04.04.2026 को समय 09.30 एएम पर उपस्थित होने बाबत् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ़ के नाम पत्र क्रमांक 240 दिनांक 03.02.2026 जारी कर श्री दलपत सिंह, एएसआई को देकर भेजा गया। इसके बाद समय करीब 06.00 पीएम पर श्री दलपत सिंह, एएसआई दो गवाह की गोपनीय राजकार्य हेतु ड्युटी के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक 553 दिनांक 03.02.2026 लेकर उपस्थित आया। पत्र का अवलोकन किया गया तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा गोपनीय राजकार्य हेतु डॉ. पुनित कुमार तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़ व श्री रविन्द्र सानेल, कनिष्ठ लेखाकार की गोपनीय राजकार्य हेतु ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 04.02.2026 को उपस्थित होने बाबत् जारी होना पाया गया। पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया। इसके बाद दिनांक 04.02.2026 को समय करीब 09.30 एएम पर तलबिदा दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक गवाह ने अपना नाम डॉ. पुनीत कुमार तिवारी पुत्र श्री महेश तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी 14 ए 32 बापु नगर, भीलवाड़ा हाल उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला चित्तौडगढ़ एवं दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री रवीन्द्र सानेल पुत्र श्री हेतराम सानेल उम्र 32 वर्ष निवासी मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनु हाल कनिष्ठ लेखाकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला चित्तौडगढ़ होना बताया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही बाबत् दोनो स्वतंत्र गवाहान को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की जिस पर दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया गया व दिखाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को सरकारी डिवीआर में दिनांक 28.01.2026 व दिनांक 03.02.2026 को रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय में बिठाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 11.30 एएम पर तलबिदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उपस्थित आया तथा बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 रूपये की व्यवस्था नही हुई है। रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में मुझे शाम तक का समय लगेगा। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 11.40 एएम पर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाह को अपने कक्ष में बुलाकर दोनो स्वतन्त्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष परिवादी ने स्वयं द्वारा दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया तथा सरकारी डिवीआर में दिनांक 28.01.2026 व दिनांक 03.02.2026 को रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं को चालु कर मुख्य अंशो को सुनाने पर उन में रिकॉर्ड वार्ताओं को स्वयं द्वारा सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड करना बताया तथा दिनांक 28.01.2026 की वार्ता में परिवादी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज सचिव श्री पारस राम विश्नोई की होना बताया तथा दिनांक 03.02.2026 की वार्ता में परिवादी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज श्री बाबु लाल एलडीसी की होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवायी जावेगी। इसके बाद समय करीब 12.30 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत कर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 रूपये की व्यवस्था कर वापस ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 06.00 पीएम पर परिवादी के ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर उपस्थित नहीं आने से जरिये दूरभाष परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं कल सुबह तक व्यवस्था कर के रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 रूपये लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कहा गया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 रूपये की व्यवस्था हो जाने पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवें। दोनो स्वतन्त्र गवाह को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कल दिनांक 05.02.2026 को समय करीब 10 एएम पर इस कार्यालय में उपस्थित पाबन्द किया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाह को रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 05.02.2026 को समय करीब 10.30 एएम पर दो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा पूर्व के गवाह श्री रवीन्द्र सानेल, कनिष्ठ लेखाकार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला चित्तौडगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक 618 दिनांक 05.02.2026 पेश करते हुए बताया कि डॉ. पुनीत कुमार तिवारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उनकी जगह दुसरे गवाह श्री शिव प्रकाश जी मीणा, लेखाधिकारी को लगाया जो मेरे साथ ही आये है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दुसरे गवाह को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री शिव प्रकाश मीणा पुत्र श्री रिछपाल मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़ होना बताया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही बाबत् स्वतंत्र गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो गवाह ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की जिस पर गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा को परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया गया व दिखाया गया तथा स्वतन्त्र गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा के परिवादी के प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा को सरकारी डिवीआर में दिनांक 28.01.2026 व दिनांक 03.02.2026 को रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के मुख्य अंशों को सुनाया गया तो गवाह ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय में बिठाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 11.00 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,11,000 हजार रूपये की जगह 70,000 रूपये नगद राशि लेकर आया है तथा साथ में अपनी फर्म के0के0 कन्स्ट्रक्शन डेवल्पर्स एन्टरप्राईजेज के राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा नारेला जिला चित्तौडगढ़ के खाता संख्या 00000021844000210 का 1,40,000 रूपये का चैक संख्या 200060 भरा हुआ अपने स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया है। परिवादी ने बताया कि श्री पारस राम विश्नोई ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान चैक देने की बात भी कही है इसलिए मैं श्री बाबुलाल एलडीसी को 70,000 रूपये नगद व 1,40,000 रूपये का चैक दे दुंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त चैक की फोटोप्रति निकाल कर चैक की फोटोप्रति पर दोनो गवाह व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 12.05 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पूर्व पाबंद शुदा उपस्थित परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उर्फ कालु पुत्र कैलाश चन्द्रजी निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के 140 नोट कुल 70,000 रूपये एवं चैक राशि 1,40,000 अंकित मय हस्ताक्षर शुदा निकालकर पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स. नोटो का विवरण नोटो का नम्बर
1 एक नोट 500/- रूपये का 8BD386926 2 एक नोट 500/- रूपये का 3CL663226 3 एक नोट 500/- रूपये का 5KG178741 4 एक नोट 500/- रूपये का 8AM960588 5 एक नोट 500/- रूपये का 7BC262266 6 एक नोट 500/- रूपये का 7AE373025 7 एक नोट 500/- रूपये का 3CA484787 8 एक नोट 500/- रूपये का 3CL663225 9 एक नोट 500/- रूपये का 7BF594512 10 एक नोट 500/- रूपये का 2AE630097 11 एक नोट 500/- रूपये का 9DQ479376 12 एक नोट 500/- रूपये का 1PD843127 13 एक नोट 500/- रूपये का 5QG458216 14 एक नोट 500/- रूपये का 1CG469823 15 एक नोट 500/- रूपये का 4CS800996 16 एक नोट 500/- रूपये का 0EB242244 17 एक नोट 500/- रूपये का 8LP741850 18 एक नोट 500/- रूपये का 7BF524020 19 एक नोट 500/- रूपये का 6CB885443 20 एक नोट 500/- रूपये का 2MU511302 21 एक नोट 500/- रूपये का 7RT013343 22 एक नोट 500/- रूपये का 1KM216768 23 एक नोट 500/- रूपये का 8DL186889 24 एक नोट 500/- रूपये का 4QK624208 25 एक नोट 500/- रूपये का 2TT662417 26 एक नोट 500/- रूपये का 1GU023132 27 एक नोट 500/- रूपये का 5HD410895 28 एक नोट 500/- रूपये का 1NU772763 29 एक नोट 500/- रूपये का 9WT036323 30 एक नोट 500/- रूपये का 6VP738495 31 एक नोट 500/- रूपये का 0FM233362 32 एक नोट 500/- रूपये का 9ED387410 33 एक नोट 500/- रूपये का 8PV807278 34 एक नोट 500/- रूपये का 8DP127052 35 एक नोट 500/- रूपये का 9RT736433 36 एक नोट 500/- रूपये का 5AE205754 37 एक नोट 500/- रूपये का 6DF755777 38 एक नोट 500/- रूपये का 1QE244709 39 एक नोट 500/- रूपये का 8AL694031 40 एक नोट 500/- रूपये का 4KQ731563 41 एक नोट 500/- रूपये का 7SB811787 42 एक नोट 500/- रूपये का 2FP979047 43 एक नोट 500/- रूपये का 2CT906165 44 एक नोट 500/- रूपये का 7DB253959 45 एक नोट 500/- रूपये का 5CH130963 46 एक नोट 500/- रूपये का 8BL033714 47 एक नोट 500/- रूपये का 7BF548695 48 एक नोट 500/- रूपये का 9DV551864 49 एक नोट 500/- रूपये का 8EN406823 50 एक नोट 500/- रूपये का 6MF481662 51 एक नोट 500/- रूपये का 9CP178641 52 एक नोट 500/- रूपये का 6TA386679 53 एक नोट 500/- रूपये का 7ES541317 54 एक नोट 500/- रूपये का 2KC326195 55 एक नोट 500/- रूपये का 3CF391837 56 एक नोट 500/- रूपये का 2BG692072 57 एक नोट 500/- रूपये का 2CW568738 58 एक नोट 500/- रूपये का 5GM526456 59 एक नोट

500/- रूपये का 8NG172319 60 एक नोट 500/- रूपये का 2QS346791 61 एक नोट 500/- रूपये का 0GC799176 62 एक नोट 500/- रूपये का 3CL156181 63 एक नोट 500/- रूपये का 2TQ157567 64 एक नोट 500/- रूपये का 1CA487529 65 एक नोट 500/- रूपये का 0GN405324 66 एक नोट 500/- रूपये का 9RP867781 67 एक नोट 500/- रूपये का 5RT249722 68 एक नोट 500/- रूपये का 3EQ634545 69 एक नोट 500/- रूपये का 3WR585165 70 एक नोट 500/- रूपये का 6BN600259 71 एक नोट 500/- रूपये का 4FV660840 72 एक नोट 500/- रूपये का 3CV830609 73 एक नोट 500/- रूपये का 4MW265912 74 एक नोट 500/- रूपये का 9HL705068 75 एक नोट 500/- रूपये का 5AT339729 76 एक नोट 500/- रूपये का 1PW493312 77 एक नोट 500/- रूपये का 1PU390601 78 एक नोट 500/- रूपये का 7PM978012 79 एक नोट 500/- रूपये का 7BF627995 80 एक नोट 500/- रूपये का 9UV652088 81 एक नोट 500/- रूपये का 7KU151071 82 एक नोट 500/- रूपये का 8MH488687 83 एक नोट 500/- रूपये का 4HV267741 84 एक नोट 500/- रूपये का 0RL035107 85 एक नोट 500/- रूपये का 6GU817756 86 एक नोट 500/- रूपये का 2VA821336 87 एक नोट 500/- रूपये का 7QM330357 88 एक नोट 500/- रूपये का 0CB346340 89 एक नोट 500/- रूपये का 2MV584547 90 एक नोट 500/- रूपये का 0FE755842 91 एक नोट 500/- रूपये का 5HM209667 92 एक नोट 500/- रूपये का 9TG362264 93 एक नोट 500/- रूपये का 6CA883236 94 एक नोट 500/- रूपये का 7GK557921 95 एक नोट 500/- रूपये का 7FA250796 96 एक नोट 500/- रूपये का 5FT845987 97 एक नोट 500/- रूपये का 6BD948007 98 एक नोट 500/- रूपये का 2FV045912 99 एक नोट 500/- रूपये का 1MG728193 100 एक नोट 500/- रूपये का 1KV191392 101 एक नोट 500/- रूपये का 4GE768166 102 एक नोट 500/- रूपये का 0MQ561409 103 एक नोट 500/- रूपये का 8RP241510 104 एक नोट 500/- रूपये का 8SL884324 105 एक नोट 500/- रूपये का 8FU166752 106 एक नोट 500/- रूपये का 0PA774353 107 एक नोट 500/- रूपये का 1UP166593 108 एक नोट 500/- रूपये का 8QM911287 109 एक नोट 500/- रूपये का 9UF259196 110 एक नोट 500/- रूपये का 3EM501983 111 एक नोट 500/- रूपये का 4CH311672 112 एक नोट 500/- रूपये का 3PC406733 113 एक नोट 500/- रूपये का 2MH386462 114 एक नोट 500/- रूपये का 6TV365100 115 एक नोट 500/- रूपये का 2UB276153 116 एक नोट 500/- रूपये का 3PE187571 117 एक नोट 500/- रूपये का 1AA757489 118 एक नोट 500/- रूपये का 8LR728013 119 एक नोट 500/- रूपये का 5GH660213 120 एक नोट 500/- रूपये का 7RT976200 121 एक नोट 500/- रूपये का 0FR705168 122 एक नोट 500/- रूपये का 7AS363619 123 एक नोट 500/- रूपये का 0LS670667 124 एक नोट 500/- रूपये का 5NV251148 125 एक नोट 500/- रूपये का 2TP512795 126 एक नोट 500/- रूपये का 2KF117946 127 एक नोट 500/- रूपये का 8FC509456 128 एक नोट 500/- रूपये का 2PF403401 129 एक नोट 500/- रूपये का 9GS098964 130 एक नोट 500/- रूपये का 5NR282357 131 एक नोट 500/- रूपये का 5FL868239 132 एक नोट 500/- रूपये का 1CW474587 133 एक नोट 500/- रूपये का 1BH748556 134 एक नोट 500/- रूपये का 4AR951647 135 एक नोट 500/- रूपये का 8CA424782 136 एक नोट 500/- रूपये का 5RL626763 137 एक नोट 500/- रूपये का 0DK442410 138 एक नोट 500/- रूपये का 9QM555932 139 एक नोट 500/- रूपये का 0RE980970 140 एक नोट 500/- रूपये का 7ND923492 परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक का विवरण निम्नानुसार हैः- क्र.सं. खाता धारक का नाम बैंक का नाम चालु खाता संख्या चैक संख्या राशि 1. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच फर्म के.के. कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नारेला जिला चित्तौड़गढ 0000002184400021 0 200060 1,40,000/- परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच की जामा तलाशी गवाह श्री रवीन्द्र सानेल से लिवाई गई जिसमें परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसे परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा पेश किये गये उक्त नोट एवं चैक संख्या 200060 राशि 1,40,000 रूपयें मय हस्ताक्षर शुदा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो एवं चैक पर श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 को मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों एवं चैक के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच की पहनी हुई जिंस पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोड़ते हुए 70,000 रूपयें पर रबड़ बैंड लगाकर एवं चैक को महिला कानि. श्रीमति टीना कॅवर से रखवाये गये। श्री शेर सिंह कानि. चालक से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर ट्रेप बाक्स से निकलवाया जाकर उक्त प्लास्टिक गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमति टीना कॅवर महिला कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो

नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति टीना कॅवर महिला कानि. से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय मालखाने में रखवाई गई तथा श्री शेर सिंह कानि. चालक से सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा अपने सिर की टोपी को उतारकर दोनो हाथ सिर पर फैरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री शेर सिंह कानि. चालक से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को डीवीआर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमति टीना कॅवर महिला कानि. के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री संदीप कुमार कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके बाद समय करीब 12.20 पीएम पर श्री ओम प्रकाश एएसआई एवं श्री प्रवीण सिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत कर सरकारी मोटर साईकिल से संदिग्ध श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी पर निगरानी रखने हेतु पंचायत समिति कपासन के परिसर में स्थित निवास के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 12.40 पीएम पर श्रीमती टीना कंवर म.कानि. को कार्यालय में ही छोडकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच को उसकी स्वयं की मोटर साईकिल से आवश्यक हिदायत कर बजानिब सिंहपुर की तरफ रवाना कर उसके पीछे श्री संदीप कुमार कानि0 को निजी मोटर साईकिल से रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शिव प्रकाश मीणा व श्री रविन्द्र सानेल एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला को साथ लेकर जरिये राजकीय वाहन ट्वेरा नम्बर आरजे 14 यूई 8792 मय् चालक श्री शेर सिंह के ट्रेप कार्यवाही हेतु बजानिब सिंहपुर जिला चित्तौडगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 01.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के ग्राम पंचायत सिंहपुर से कुछ पहले पहुंचा जहां पर परिवादी व श्री सन्दीप कुमार कानि0 उपस्थित मिले। वाहनो को साईड में खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर ग्राम पंचायत सिंहपुर के लिए उसकी स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान व ट्रेप पाटी सदस्यों के पैदल-पैदल ही रवाना हो ग्राम पंचायत सिंहपुर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 01.45 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर के मैन फाटक के बाहर रोड़ पर आकर अपने सिर पर लगी टोपी को उतार कर दोनो हाथ फैर कर पूर्व निर्धारित ईशारा समय करीब 1.45 पी.एम. पर किया, जिसे श्री शेर सिंह कानि. चालक एवं श्री संदीप कुमार कानि. ने देखकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री शिव प्रकाश मीणा व श्री रवीन्द्र सानेल, श्री दलपत सिंह सउनि, जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन की तरफ निर्धारित ईशारा किया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान ने देखकर परिवादी के नजदीक पहुंचे । जहॉ परिवादी को पूर्व में दिया गया डिवीआर श्री शेर सिंह कानि. चालक द्वारा प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी द्वारा ईशारा कर बताया कि श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठा हुआ है, जिसने अभी मेरे से पूर्व में हुई रिश्वत राशि मांग के अनुसार रिश्वत राशि 70,000 रूपयें नगद एवं चैक राशि 1,40,000 रूपयें प्राप्त कर उनकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान, परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच को ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर में प्रवेश किया जहॉ एक व्यक्ति सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक है जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि के रूप में 70,000 रूपयें एवं चैक राशि 1,40,000 रूपयें प्राप्त कर इनकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में मेरे सामने रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त बैठे हुए व्यक्ति को अपना व हमरायान का परिचय देते हुए आने का मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उक्त व्यक्ति से अपना परिचय पूछा तो उसने अपना नाम बाबु लाल शर्मा पुत्र श्री मिठू लाल शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी हिंगोरिया

तहसील कपासन पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ होना बताया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच की फर्म मैसर्स के.के. कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज के सामग्री मद के बिलो के भुगतान के ऐवज में आपने दिनांक 03.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि के रूप में आपने 2,11,000 रूपयें लेना तय किया था जो सही है क्या तो आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा ने बताया कि जो आप कह रहे हो वह सही बात है किन्तु उक्त राशि में मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मुझे तो ग्राम विकास अधिकारी श्री पारसराम जी द्वारा कहा था, इसलिये मैने ठेकेदार श्री नरेन्द्र कुमार जी दाधीच से दिनांक 03.02.2026 को 2,11,000 रूपयें की बात की थी। उक्त बातचित के अनुसार आज अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर में आया और मुझे श्री नरेन्द्र कुमार जी ने 70,000 रूपयें कहकर गड्डी एवं एक चैक जिसमें राशि 1,40,000 रूपयें अंकित थे। उक्त चैक हस्ताक्षर शुदा मय 70,000 रूपयें मुझे दिये जो मैने हाथ में लेकर गिनकर रूपयें एवं चैक को मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब रखे है जो मेरी जेब मे ही पड़े हुए है। उक्त तथ्यों के संबंध में सामने खड़े परिवादी से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूछा कि आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा द्वारा बताये गये तथ्य सही है तो परिवादी ने आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्ठि करते हुए कहा की मैं दिनांक 28.01.2026 को जब श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी के पास रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गया था तो मुझे श्री पारसराम विश्नोई द्वारा कहा की तुम्हारी फर्म के बिल राशि 12,80,000 रूपयें के लगभग का पास करने की ऐवज में चैक से राशि देनी हो तो मुझे दे देना नगद देने है तो श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक से इस संबंध में बातचित कर लेना, जिस पर मैं दिनांक 03.02.2026 को श्री बाबु लाल शर्मा से जाकर मिला तो उन्होने मेरे से कहा कि आप कितना देना चाहते हो तो मैने 2,21,000 रूपयें देने की कहा तो श्री बाबु लाल शर्मा ने मुझे कहा की आप मुझे 2,11,000 रूपयें दे देना। जो आज मैने मेरी व्यवस्थानुसार 70,000 रूपयें रिश्वत राशि एवं नगद राशि की व्यवस्था नहीं होने से मेरी फर्म के नाम का चैक में राशि 1,40,000 रूपयें भर कर हस्ताक्षर शुदा सहित कुल राशि 2,10,000 रूपयें कहकर अभी कुछ समय पूर्व श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक को ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर में इनके हाथो में मेरी फर्म के बिल के संबंध में बातचित करते हुए दिये थे जो श्री बाबु लाल शर्मा ने अपने दोनो हाथो में लेकर रूपयें एवं चैक को उनकी पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में मेरे सामने रखने के बाद मैं ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर की मैन फाटक बाहर रोड़ पर आकर मेरे सिर पर लगी हुई टोपी को उतार कर दोनो हाथ अपने सिर पर फैरकर पूर्व निर्धारित ईशारा सामने खड़े ब्यूरो टीम के सदस्य श्री शेर सिंह जी व श्री संदीप कुमार को किया। उक्त परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में पुनः आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा को पूछा तो बताया कि साहब मेरा इन रूपयों में कोई लेना-देना नहीं है। मैने तो इनके बिल बाउचर बनाकर पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के मार्फत भिजवा दिये है। मेरी गलती इतनी हुई कि मेरे द्वारा दिनांक 03.02.2026 को श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ठेकेदार से ग्राम विकास अधिकारी श्री पारसराम विश्नोई जी के कहने पर बातचित की और उन्ही के कहने से आज मैंने उक्त राशि 70,000 रूपयें नगद एवं चैक राशि 1,40,000 रूपयें का लिया है, जिसके लिये मैं माफी चाहता हूं। आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा द्वारा बताये गये उक्त तथ्य के संबंध में उसने कहा कि मैं अभी सचिव साहब से बात कर लेता हूं इस पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा ने उक्त रिश्वत राशि 70,000 रूपयें एवं चैक राशि 1,40,000 रूपयें सहित कुल राशि 2,10,000 रूपयें के संबंध में अपने मोबाईल नम्बर 96674-13184 से श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उक्त रिश्वत राशि 70,000 रूपयें व चैक प्राप्त करने के संबंध में कहा तो ग्राम विकास अधिकारी श्री पारसराम विश्नोई ने कहा कि ठीक है आप अपने पास रख लो और दो अन्य व्यक्तियों को भी 20-25 हजार रूपयें फोन पे कर देने इत्यादी कहता है और अपनी लोकेशन भुपालसागर की तरफ होना एवं सोमवार तक आने की कहकर फोन काट दिया। फिर कुछ समय बाद श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी का श्री बाबु लाल शर्मा के मोबाईल पर कॉल आया तो बात नहीं होकर कॉल कट गया तो पुनः श्री बाबु लाल शर्मा ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी के कॉल किया तो फतेहनगर पहुचना बताया इत्यादि वार्ता की गई उक्त दोनो वार्ता को कार्यालय के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। पूर्व पाबंदशुदा ब्यूरो जाप्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा सहायक उप निरीक्षक मय श्री प्रवीण सिंह कानि. मय सरकारी मोटरसाईकिल से कपासन ग्राम विकास अधिकारी के सरकारी आवास होने से भिजवाये गये थे जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी का भोपालसागर से फतेह नगर जाने से पूर्व पांबद शुदा श्री ओमप्रकाश सउनि को हिदायत मुनासिब कि गई की उक्त सूचना के आधार पर आरोपी श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी की तलाश कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ लेकर उपस्थित होवे। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.01.2026 एवं दिनांक 03.02.2026 एवं आज दिनांक 05.02.2026 को रिश्वत राशि लेन देन के वक्त हुई वार्ता को डीवीआर ऑन कर सुनाई गई तो आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा ने रिश्वत राशि मांग दिनांक 03.02.2026 एवं आज दिनांक 05.02.2026 को ग्रहण करने संबंधी तथ्यों की पुष्ठि की एवं स्वयं की एक आवाज होने की पहचान की तथा दिनांक 28.01.2026 की रिश्वत राशि मांगने संबंधी वार्ता में एक आवाज श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्ठि की एवं परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच एवं आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार

कनिष्ठ सहायक द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से उनकी फर्म मैसर्स के.के. कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज के सामग्री मद के बिलो के ऑनलाईन फिडिंग कर भुगतान करने के ऐवज में दिनांक 03.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 2,11,000 रूपयें मांगे जिस पर नगद राशि 70,000 रूपयें एवं राशि 1,40,000 रूपयें का चैक ग्रहण करने की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री दलपत सिंह सहायक उप निरीक्षक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास उपयोगशुदा को जला कर नष्ट किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की जामा तलाशी मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा से जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि मय चैक के अलावा एक वन प्लस नोर्ड सीई 2 कम्पनी बरंग काला मोबाईल मिला, जिसमें दो मोबाईल सीम लगी हुई थी एवं जामा तलाशी में मिले मोबाईल की फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जावेगी तथा श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की पहनी हुए पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपयें के नोटो की एक गड्डी मिली जिसके संबंध में आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक ने स्वयं ने कहा कि यही वो राशि है जो मैने कालु जी (नरेन्द्र कुमार दाधीच) से ली थी। उक्त रिश्वत राशि आरोपी की निशादेही से बरामद हुई उपरोक्त राशि 500-500 के नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 140 नोट कुल 70,000/- रूपये राशि एवं चैक हुबहु हुये। नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। तत्पश्चात बरामद शुदा उक्त नोटों 70,000 रूपये एवं परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच की फर्म के.के. कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज के नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नारेला जिला चित्तौड़गढ के चालु खाता संख्या 00000021844000210 का चैक संख्या 200060 राशि 1,40,000 रूपये के चैक को एक कागज की चिट लगाकर पृथक -पृथक सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। बरामदगी के दौरान हाथ धुलाई की सरकारी मोबाईल से कानि. श्री संदीप कुमार से वीडियोग्राफी करवाई गई तथा ग्राम पंचायत सिंहपुर को वहा पर उपस्थित श्री रतन लाल भील अस्थाई गार्ड को सम्भलाया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को कॉल कर बताया कि डिटेन शुदा श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी को पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत ले जाकर फर्म मैसर्स के.के. कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज के भुगतान बिल एवं पत्रावली लेकर आने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर में भीड़ एकत्रित होने की संभावना होने से सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा को ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर से हमरा ले मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान के मय सरकारी वाहन एवं परिवादी को अपनी निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ के लिये समय करीब 2.45 पी.एम. पर रवाना हो समय करीब 3.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ पहुंच उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई प्रारम्भ की गई तथा ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ में शेष कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा के पहनी हुई पेन्ट बरंग नेवी ब्लू जिसमें रिश्वत राशि 70,000 रूपयें एवं चैक उक्त पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होने से उक्त पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतराई जाकर दूसरा लॉवर मंगवाकर पहनाया गया तथा तीसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में श्री दलपत सिंह सउनि से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की उतराई हुई पेन्ट बरंग नेवी ब्लू के सामने की दाहिनी जेब को उल्टा कर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट बरंग नेवी ब्लू की जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा सफेद कपड़े की थैली में सिल्डचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त की गई तथा उक्त प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास उपयोगशुदा को जला कर नष्ट किया गया। दौराने ट्रेप

कार्यवाही समय करीब 4.45 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक मय श्री प्रवीण सिंह कानि. मय सरकारी मोटरसाईकिल पर फतेहनगर पुलिस थाना से पहले चौराहे पर संदिग्ध श्री पारसराम ग्राम विकास अधिकारी रोड़ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसका हुलिया पूर्व में मोबाईल पर परिवादी द्वारा भिजवाई गई फोटो के आधार पर पहचान कर उक्त संदिग्ध व्यक्ति से अपना परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर होना बताया जिसे श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने डिटेन शुदा संदिग्ध श्री पारसराम ग्राम विकास अधिकारी को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में लेकर उपस्थित आये तथा श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने प्रकरण में वांछित फर्म के बिल बाउचर एवं माप पुस्तिका पंचायत समिति कपासन से प्राप्त शुदा एवं ग्राम पंचायत सिंहपुर से श्मशान घाट विकास कार्य खारोलो की झुपडिया की पत्रावली जहॉ दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में लाकर पेश की जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिटेन शुदा आरोपी श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ को उक्त ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाते हुए आरोपी श्री पारसराम विश्नोई से अपना परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पारस राम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी उपरलाबास रामड़ावास कला पुलिस थाना कापरड़ा तहसील पिपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ होना बताया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पारसराम विश्नोई से परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से रिश्वत राशि किस काम के लिये मांगी और श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक को दिलाने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि फर्म मैसर्स के.के कन्सट्रक्शन डवलपर्स इन्टरप्राईजेज के द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर के नरेगा के निर्माण कार्यो में सामग्री उपलब्ध करवाने का कॉन्टेक्ट/ठेका हुआ था जिनके बकाया बिल राशि 12,77,908 रूपयें के भुगतान के बिल बाउचर तैयार कर भुगतान हेतु मैने ग्राम पंचायत सिंहपुर से श्रीमान् विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ को अभी दो-तीन दिन पूर्व ही भिजवाये गये है। उक्त बिल के भुगतान करने के संबंध में मेरे से ठेकेदार श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच दिनांक 28.01.2026 को मिला था तब मैने श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच को उनकी फर्म के नरेगा निर्माण कार्यो के सामग्री मद के भुगतान करने के लिये चैक से रूपयें मुझे देने के लिये कहा था और यदि नगद रूपयें देना हो तो और कितना देना है इस संबंध में बात श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक से बात करने की कहा था। दिनांक 03.02.2026 को जब श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ठेकेदार श्री बाबु लाल शर्मा से मिला और उनसे 2,11,000 रूपयें लेकर आने के लिये कहा था जिसके संबंध में श्री बाबु लाल शर्मा ने मुझे उसी दिन बता दिया था। आज जब श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ठेकेदार द्वारा 70,000 रूपयें नगद एवं 1,40,000 रूपयें का चैक श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक को ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर में दिया था तब श्री बाबु लाल शर्मा द्वारा मुझे मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया की श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उर्फ कालु द्वारा मुझे 70,000 रूपयें नगद एवं 1,40,000 रूपयें का खाली चैक दिया है तो मैने श्री बाबु लाल शर्मा को कहा की आप अपने पास रख लो मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को आउगा, देख लेगे इत्यादी। मुझे श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच पर शक नहीं होने से मैने उक्त नगद राशि एवं चैक की राशि श्री बाबु लाल शर्मा को लेने के लिये कह दी थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। उक्त राशि मैं श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक का कोई लेना देना नहीं है। मैने फर्म माधव इन्टरप्राईजेज उकलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ के लिये लिवाये गये है, जबकि उक्त फर्म का माल ठेकेदार श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर क्षेत्र में नरेगा में हुए निर्माण कार्य की सामग्री क्रय की थी। उक्त फर्म को भुगतान श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच की फर्म द्वारा भुगतान करना नियमानुसार है, किन्तु श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा फर्म माधव इन्टरप्राईजेज को समय पर भुगतान नहीं करता है इसलिये मैने रूपयें मांगे थे। उक्त तथ्यों के संबंध में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से पूछा तो बताया कि श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी जी झूठ बोल रहे है क्योकि जिन फर्मो से अथवा माधव इन्टरप्राईजेज से मैने माल/सामग्री ग्राम पंचायत सिंहपुर के नरेगा निर्माण कार्यो के लिये क्रय नहीं की है जबकि मैने तो फर्म नाकोडा बिल्डिग मेटेरियल सिंहपुर से सामग्री क्रय कर ग्राम पंचायत सिंहपुर में सप्लाई की है जिसका मेरी फर्म का करीब 2,00,000 रूपयें बकाया चल रहा है, मुझे जब उक्त बकाया बिल का भुगतान करीब 12,80,000 रूपयें का होने पर जितने भी बकाया है उनको मैं भुगतान करता किन्तु ग्राम विकास अधिकारी श्री पारसराम विश्नोई एवं श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक मेरे से मेरे बकाया बिलो के ऑनलाईन फिडिंग कर भुगतान करने की ऐवज में रिश्वत के रूप में 2,11,000 रूपयें लेना तय हुआ और उक्त रिश्वत राशि मांग के अनुसार मेरी व्यवस्थानुसार 70,000 रूपयें नगद एवं और राशि की व्यवस्था नहीं होने से मेरी फर्म के चालु खाता के चैक राशि 1,40,000 रूपयें सहित कुल 2,10,000 रूपयें मैने आज दिनांक को श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक को दिये है। प्रकरण में वांछित दस्तावेज पूर्व में श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये गये जिसका अवलोकन किया गया तो पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ नरेगा शाखा से प्राप्त दस्तावेज किता 20 जिसमें ग्राम पंचायत में नरेगा योजना अन्तर्गत आदर्श श्मशान विकास कार्य खारोला की झुपड़िया की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 733 दिनांक 15.12.2024 स्वीकृत राशि श्रम 4.39, सामग्री 14.53 योग 18.92 लाख, अब तक व्यय राशि में श्रम राशि 4,34,650 रूपयें, सामग्री 1,48,037 रूपयें

सहित कुल योग 5,82,687 रूपयें एवं सामग्री मद में मांग राशि 12,77,908 रूपयें के बिल बाउचर जिस पर सरपंच प्रशासक, रोजगार सहायक/क.लि. एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन के हस्ताक्षर शुदा का अवलोकन कर प्रथम पेज व अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर संबंधितो के करवाये जाकर उक्त मूल बिल बाउचर परिवादी के भुगतान की अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाये जाने हेतु पंचायत समिति कपासन के विशेष वाहक को तलब कर लौटाई जायेगी एवं उक्त माप पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर बाद अवलोकन शामील कार्यवाही की गई एवं माप पुस्तिका संख्या 1933 पेज संख्या 02 से 21 तक भरी हुई जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक (नरेगा) पंचायत समिति कपासन द्वारा मेजरमेन्ट/माप लिया जाकर हस्ताक्षर किये हुए जिसको श्री गजेन्द्र सिंह खंगारोत सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति कपासन द्वारा प्रमाणित की हुई माप पुस्तिका मूल का अवलोकन कर प्रथम पेज व अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर संबंधितो के करवाये जाकर मूल माप पुस्तिका परिवादी के भुगतान की अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाये जाने हेतु पंचायत समिति कपासन के विशेष वाहक को तलब कर लौटाई जायेगी एवं उक्त माप पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर बाद अवलोकन शामील कार्यवाही की गई तथा ग्राम पंचायत कार्यालय सिंहपुर से आदर्श श्मशान घाट विकास कार्य खारोला की झुपड़िया की पत्रावली पेज संख्या 01 से 101 तक की मूल पत्रावली को बाद अवलोकन शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी एवं आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत राशि लेने के बाद ब्यूरो की उपस्थिति में हुई मोबाईल वार्ता होना पाया जाने से उक्त दोनो आरोपीगणों के मोबाईल को जरिये फर्द पृथक-पृथक जब्त किया जावेगा तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि समय करीब 6.40 पी.एम. पर समाप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 06.45 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को समय करीब 5.45 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, सचिव के मध्य पंचायत समिति कपासन स्थित निवास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकार्ड किया गया, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 76 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.15 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल, एलडीसी के मध्य ग्राम पंचायत सिंहपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकार्ड किया गया, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 76 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.45 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा पुत्र श्री मिठू लाल शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से रिश्वत राशि 70,000 रूपये एवं चैक संख्या 200060 राशि 1,40,000 रूपयें लिये जाने का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 एवं धारा 61 (2) बीएनएसएस 2023 के अपराध से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत करा कर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी श्रीमति कौशल्या को जरिये मोबाईल नम्बर पर दी गई। फर्द गिरफतारी मय् चैक लिस्ट पृथक से हस्ब कायदा मुर्तीब कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 09.00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पारसराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी उपरलाबास रामड़ावास कला पुलिस थाना कापरड़ा तहसील पिपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच से रिश्वत राशि मांगकर श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक को 70,000 रूपये एवं चैक संख्या 200060 राशि 1,40,000 रूपयें ग्रहण करने का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 एवं धारा 61 (2) बीएनएसएस 2023 के अपराध से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत करा कर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई श्री अशोक विश्नोई के मोबाईल नम्बर पर दी गई। फर्द गिरफतारी मय् चैक लिस्ट पृथक से हस्ब कायदा मुर्तीब कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 09.15 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एंव मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन वन प्लस Nord 5G बरंग लाईट ब्लू, आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर 862027065609372 जीओ मोबाईल नम्बर 6376182186 एवं सिम स्लाट 2 नम्बर

862027065609364, वोडाफोन मोबाईल नम्बर की सिम लगी हुई है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 09.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एंव मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री बाबु लाल शर्मा रोजगार कनिष्ठ सहायक की जामा तलाशी गवाह श्री शिव प्रकाश मीणा से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन वन प्लस नोर्ड सीई 2 बरंग ब्लेक, आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर एयरटेल मोबाईल नम्बर एवं सिम स्लाट 2 नम्बर जीओ मोबाईल नम्बर की सिम लगी हुई है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 09.45 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ की गिरफ्तारी की सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौडगढ़ देने हेतु पत्र क्रमांक 276 दिनांक 05.02.2026 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 10.00 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को कार्यालय का पत्रांक 272 दिनांक 05.02.2026 द्वारा अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने बाबत् जारी कर आरोपी श्री पारस राम विश्नोई को दिया गया। जिस पर मूल ही पत्र पर आरोपी द्वारा अपनी हस्तलिपि में अंकित किया कि सूचित हुआ मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। अपने हस्ताक्षर अंकित किये। उक्त पत्र बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.10 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को कार्यालय का पत्रांक 273 दिनांक 05.02.2026 द्वारा अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने बाबत् जारी कर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा को दिया गया। जिस पर मूल ही पत्र पर आरोपी द्वारा अपनी हस्तलिपि में अंकित किया कि सूचित हुआ मैं मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। अपने हस्ताक्षर अंकित किये। उक्त पत्र बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.20 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का सजायबी रिकॉर्ड की सूचना भिजवाने बाबत् थानाधिकारी पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ के नाम कार्यालय का पत्रांक 269 दिनांक 05.02.2026 जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया। उक्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.25 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का सजायबी रिकॉर्ड की सूचना भिजवाने बाबत् थानाधिकारी पुलिस थाना कापरड़ा जिला जोधपुर के नाम कार्यालय का पत्रांक 270 दिनांक 05.02.2026 जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया। उक्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 पीएम पर श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का सेवा विवरण भिजवाने बाबत् विकास अधिकारी, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ के नाम इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 05.02.2026 जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया। उक्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.35 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 05.02.2026 को समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन आमने-सामने हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डीवीआर में में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि 76 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 11.35 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 05.02.2026 को समय 01.51 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डीवीआर में में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि 76 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 11.45 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 05.02.2026 को समय 02.19 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डीवीआर में में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त

डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि 76 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल सिल्डचिट शुदा धोवन की शीशीया, सिल्ड पेन्ट का पैकेट, बरामदशुदा रिश्वत राशि व बरामद शुदा चैक, जब्तशुदा पेनड्राईव व जब्तशुदा मैमोरी कार्ड इत्यादि को मालखाने में रखने हेतु श्री सन्दीप कुमार कानि0 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाह को रूखसत देकर दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 10.00 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया एवं परिवादी को दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 11.30 एएम पर ग्राम पंचायत सिंहपुर के पास उपस्थित मिलने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 11.55 पीएम पर श्री सन्दीप कुमार कानि0 व श्री प्रवीण सिंह कानि. को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 271 दिनांक 05.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 275 दिनांक 05.02.2025 देकर जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपीगण श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का राजकीय सॉवलिया हॉस्पीटल में मेडीकल करवाकर पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ की हवालात में जमा कराने रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 06.02.2026 समय करीब 00.40 एएम पर श्री सन्दीप कुमार कानि0 व श्री प्रवीण सिंह कानि. जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपीगण श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का राजकीय सॉवलिया हॉस्पीटल में मेडीकल करवाकर पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ की हवालात में जमा करवाकर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। आरोपीगणो का मेडिकल व पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ के रोजनामचा आम की नकल रपट की प्रमाणित प्रति का अवलोकन कर शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय करीब 10.00 एएम पर तलबिदा दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 10.10 एएम पर श्रीमति टीना कंवर म.कानि. 38 व श्री प्रवीण सिंह कानि. जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपीगण श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ की हवालात से लाने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर श्रीमति टीना कंवर म.कानि. 38 व श्री प्रवीण सिंह कानि. जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपीगण श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ की हवालात से लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौडगढ़ के रोजनामचा आम की नकल रपट की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दोनो आरोपीगणों को कार्यालय में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. व श्री प्रवीण सिंह कानि. की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 11.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ के पंचायत समिति कपासन परिसर में स्थित सरकारी आवास की खाना तलाशी लेने एवं घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 11.45 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ के पंचायत समिति कपासन परिसर में स्थित सरकारी आवास पर पहुचा तथा नियमानुसार समय 11.50 एएम पर खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार की जाकर फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ का मकान पिता द्वारा निर्मित होकर पुश्तैनी आवास है जिसमें आरोपी संयुक्त परिवार के रूप में निवास करता है इस कारण श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक के रिहायशी आवास की खाना तलाशी नही ली गई। इसके बाद समय करीब 12.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु सिंहपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 01.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक

पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु सिंहपुर पहुंचा जहा पर पूर्व तलविदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ग्राम पंचायत सिंहपुर के बाहर उपस्थित मिला। इसके बाद समय करीब 01.15 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी को सिंहपुर में रूखसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के सिंहपुर से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह मय् आरोपी श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं श्रीमती टीना कंवर म.कानि. के मय लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये राजकीय वाहन मय् चालक श्री शेर सिंह के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर पहुचा । दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के कार्य से सम्बन्धित जब्तशुदा मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां विकास अधिकारी, पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ के पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 06.02.2026 द्वारा प्राप्त कर लाया। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया एवं दोनो आरोपीगणों के सेवा विवरण भी विकास अधिकारी, पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ के पत्र क्रमांक 2473 दिनांक 06.02.2026 द्वारा प्राप्त कर लाया। जिसे भी बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 02.05 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को समय करीब 5.45 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य पंचायत समिति कपासन स्थित निवास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक के मध्य ग्राम पंचायत सिंहपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन आमने-सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 01.51 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर । पर हुई वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 02.19 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता कुल 05 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डीवीआर को श्री प्रवीण सिंह कानि. द्वारा कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर चार पेन ड्राईव केडीएम कम्पनी के 32 जीबी बरंग सिल्वर में कॉपी कर एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय की हैश वैल्यू निकाली गई। एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु एवं एक-एक पेन ड्राईव दोनों आरोपीगण हेतु पृथक-पृथक एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द डबिग पेन ड्राईव पृथक से तैयार करवा करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को समय करीब 5.45 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य पंचायत समिति कपासन स्थित निवास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, रोजगार कनिष्ठ सहायक के मध्य ग्राम पंचायत सिंहपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच व आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन आमने-सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 01.51 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता एवं दिनांक 05.02.2026 को समय 02.19 पीएम पर आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता कुल 05 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर में लगे केडीएम कंपनी के मैमोरी कार्ड 32 जीबी बरंग काला में रिकार्ड की गई थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू पृथक से निकाली गई। उक्त मुल मेमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी कार्ड बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर मार्क M अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार

करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 02.50 पीएम पर गवाहान एव परिवादी के समक्ष के दिनांक 05.02.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही कानि सन्दीप कुमार के द्वारा सरकारी मोबाइल से फर्द पेशकशी नोट एवं रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान हाथ धुलाई के फोटो व ऑडियो-विडियो बनाये गये थे जो मोबाईल में लगे केडीएम कंपनी का 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित है उक्त मेमोरी कार्ड को केडीएम 32 जीबी बरंग सिल्वर 02 पेन ड्राईव में श्री प्रवीण सिंह कानि0 से कॉपी करवाया गया। एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु जिसकी हैश वैल्यु निकालकर पेन ड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक अनसील्ड पेन ड्राईव आई.ओ हेतु तैयार किया गया। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 03.15 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 05.02.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही कानि सन्दीप कुमार के द्वारा सरकारी मोबाइल से फर्द पेसकशी नोट एवं रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान हाथ धुलाई के फोटो व ऑडियो-विडियो बनाये गये थे जो मोबाईल में लगे केडीएम कंपनी का 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित है उक्त मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर डिवीआर मे लगाकर कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उसकी हैश वेल्यू श्री प्रवीण सिंह कानि0 से निकालवाई जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M-1 अंकित किया गया। फर्द पृथक से मूर्तिब की संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 04.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के हमरा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री पारस राम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं श्री बाबु लाल शर्मा हाल रोजगार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश करने हेतु जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रवाना हुआ।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपीगण 01. श्री पारसराम विश्नोई पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी उपरलाबास रामड़ावास कला पुलिस थाना कापरड़ा तहसील पिपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ एवं 02. श्री बाबु लाल शर्मा पुत्र श्री मिठू लाल शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच उर्फ कालु की फर्म के.के. कन्सट्रक्शन डेवल्पर्स एन्टरपाईजेज द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर में कराये गये आदर्श शमशान विकास कार्य खारोली की झुपडिया के लगभग 12,80,000 रूपये के बिल माह मई व जुन 2025 के कुल 07 बिलों का ऑन लाईन फिडिग कर भुगतान करने की एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 2,11,000 रूपये की मांग करना एवं दिनांक 05.02.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि 70,000 रूपये नगद व 1,40,000 रूपये का चैक ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगण 01. श्री पारसराम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ को दिनांक 05.02.2026 समय 09.00 पीएम पर गिरफ्तार किया गया एवं 02. श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ को दिनांक 05.02.2026 समय 08.45 पीएम पर गिरफ्तार किया गया। उक्त रिश्वत राशि 70,000 रूपये नगद व 1,40,000 रूपये का चैक आरोपी श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद की गई। आरोपीगण 01. श्री पारसराम विश्नोई हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ एवं 02. श्री बाबु लाल शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय सहिता 2023 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 01. श्री पारसराम विश्नोई पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी उपरलाबास रामड़ावास कला पुलिस थाना कापरड़ा तहसील पिपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ एवं 02. श्री बाबु लाल शर्मा पुत्र श्री मिठू लाल शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय सहिता 2023 में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (हरिश्चन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 01. श्री पारसराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी उपरलाबास रामड़ावास कला पुलिस थाना कापरड़ा तहसील पिपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन जिला

चित्तौड़गढ एवं 02. श्री बाबु लाल शर्मा पुत्र श्री मिठू लाल शर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन पुलिस थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत सिंहपुर जिला चित्तौड़गढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनंत कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 109 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 197-200 दिनांक 08.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौडगढ 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANANT KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/02/2026 12:06:03

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)